FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कृष्ण कुमार आदि **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट, प्रकरण संख्या 399 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/568

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].12.2025	प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र स्यादा राम जाति कम्बोज निवासी मानकसर तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 4007 दिनांक 18.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 103/92 की प्रति, राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 73/73 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 73/73 में अंकित जाति कम्बोसिख के स्थान पर कम्बोज दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक खाता संख्या 73 की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 में स्यादाराम पिता मिलावा राम जाति कम्बोज मानकसर दर्ज है। वारिसों की जाति कम्बोसिख दर्ज है। प्रार्थी खाता संख्या 73 में अपनी जाति कम्बोज करवाना चाहता है। जो कि उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व प्रस्तुत दस्तावेजात, के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ. नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 73/73 में अंकित जाति कम्बोसिख के स्थान पर कम्बोज दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कृष्ण कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्याः-399/2025
निर्णय दिनांक :-26.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व प्रस्तुत दस्तावेजात, के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ. नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 73/73 में अंकित जाति कम्बोसिख के स्थान पर कम्बोज दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 26.12.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/951
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर